

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 749]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 सितम्बर 2025 — अश्विन 3, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्र. GENCOR-35/2648/2025-C&I.— राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास को अधिक गति प्रदान करने के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.29) एवं अध्याय (स-4) की कंडिका (12) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद उद्योग की स्थापना हेतु, राज्य में “इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर” में निवेश हेतु, मेसर्स आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बी-स्पोक पैकेज) का निर्धारण निम्नानुसार करता है:-

1. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए “इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर” के लिए अध्याय (स-4) में प्रावधान किए गए हैं। मेसर्स आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड द्वारा राज्य में राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण हेतु 10,000 करोड़ रुपये निवेश एवं 1000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजित होना प्रस्तावित किया गया है।

2. इसके अंतर्गत घोषित किए जा रहे पैकेज में राशि रु. 1000 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के आधार पर इकाई को नवा रायपुर अटल नगर में 30 एकड़ भूमि का आबंटन एवं स्थायी पूंजी निवेश अनुदान एवं विद्युत शुल्क छूट के लिए पात्रता होगी। इस पैकेज के अंतर्गत निम्नानुसार अनुदान /छूट /रियायत की मदवार स्वीकृति की जाती है:-

(1) भूमि का आबंटन — इकाई को नवा रायपुर अटल नगर में रु 40 लाख एकड़ की दर से 30 एकड़ भूमि का आबंटन किया जाएगा।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान - मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 29%, अधिकतम रु 330 करोड़ वार्षिक, 1000 करोड़ के निवेश के पश्चात प्रथम उत्पादन दिनांक से 7 समान वार्षिक किश्तों, में वितरित किया जाएगा।

(3) विद्युत शुल्क से छूट - प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 12 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान किया जाएगा।

3. यह पैकेज निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा —

(1) आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता - कंपनी को इस पैकेज का लाभ तभी मिलेगा, जब वह न्यूनतम रु. 1000 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश करे अथवा 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करे।

(2) इकाई को अपना वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च, 2030 से पहले प्रारंभ करना आवश्यक होगा।

(3) कुल पूंजी निवेश एवं रोजगार गणना की समय-सीमा-

(i) उद्यम आकांक्षा दिनांक अथवा भूमि/ भवन आबंटन दिनांक अथवा भू-आधिपत्य दिनांक, जो पूर्ववर्ती हो, से प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक एवं उसके अगले 5 वर्षों तक किए गए स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में शामिल किया जाएगा।

(ii) प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों तक उत्पन्न रोजगार को भी कुल रोजगार में सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) इकाई को इस पैकेज का लाभ तभी प्राप्त होगा, जब वे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से 5 वर्षों के भीतर न्यूनतम 1000 करोड़ का निवेश करेगा अथवा 1000 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। तब तक इकाई औद्योगिक विकास नीति के अध्याय (स-4) में उल्लेखित पैकेज हेतु पात्र होगी।

(iv) न्यूनतम 1000 करोड़ का निवेश अथवा न्यूनतम 1000 रोजगार प्रदान करने पर इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से इस पैकेज के अंतर्गत उल्लेखित अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन एरियर्स के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

(4) इकाई को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.19) में उल्लेखित शर्तानुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करना होगा।

4. इस पैकेज में उल्लिखित शब्दों का अर्थान्वयन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं इसके क्रियान्वन के लिए बने नियमों के अनुसार होगा। इस पैकेज का क्रियान्वयन सम्बंधित बूट, अनुदान, प्रतिपूर्ति हेतु जारी नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, तथा आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

यह अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.